

**EVIDENCE TENDERED BEFORE
THE JOINT COMMITTEE OF THE
HOUSES ON THE PREVENTION
OF WATER POLLUTION BILL,
1969**

SHRI KRISHAN KANT (Haryana):
Sir,

I beg to lay on the Table a copy of the evidence tendered before the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the prevention of water pollution and the maintaining or restoring of wholesomeness of water, for the establishment, with a view to carrying out the purposes aforesaid, of Prevention of Water Pollution Boards, for conferring on such Boards functions relating thereto and for matters connected therewith.

**MOTION RE. EXTENSION OF TIME
FOR THE PRESENTATION OF THE RE-
PORT OF THE JOINT COMMITTEE OF
THE HOUSES ON THE ADOPTION OF
CHILDREN BILL, 1972.**

SHRI S. D. MISRA (Uttar Pradesh): Sir, I beg to move the following motion:—

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Adoption of Children Bill, 1972, be extended up to the first day of the Eighty-third Session (Budget Session) of the Rajya Sabha."

The question was put and the motion was adopted.

**REFERENCE TO CIA BADGE
BEING ALLEGEDLY WORN BY A
MEMBER OF PARLIAMENT**

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, I have to bring to your notice a matter of importance.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Have you taken permission from the Chairman?

SHRI BHUPESH GUPTA: Just now it has come to my knowledge. It is very serious. A gentleman in this building is going round with a badge "I am a CIA agent". It is a very important thing. Kindly hear. It is a matter of importance. I bring this to your notice to find it out. If he is serious! then the hon. member has announced his case. In that case he should be taken into custody.

If it is netted as a light joke, then, Sir, it is derogatory to Parliament House.

The CIA is against our country. A Member—and he happens to be the Chairman of the Swatantra Party—is wearing that badge and is going about. I should like to know where we stand.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not come across any such badge. The House stands adjourned till 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

**MOTION RE TWELFTH REPORT OF
THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC
MINORITIES**

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): Mr. Deputy Chairman, I beg to move:

"That the Twelfth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period from 1st July, 1969 to 30th June, 1970, laid on the Table of the Rajya Sabha on 13th April, 1972, be taken into consideration."

श्री गणेशी लाल चौधरी (उत्तर प्रदेश) : पौन्ट आफ आर्डर । सर आप अंग्रेजी और हिन्दी का एजेंडा देखें । हिन्दी के एजेंडा में लिखा हुआ है । "1 जुलाई, 1969 से 30 जून, 1970 तक की अवधि के लिये भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के बीसवें प्रतिवेदन पर, जो 13 अप्रैल, 1972 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये ।" श्रीमान्, अंग्रेजी के एजेंडा में 12वां है और हिन्दी के एजेंडा में 20वां प्रतिवेदन है । तो जरा इसका क्लेरिफिकेशन कर दिया जाय ।

श्री उपसभापति : वह प्रिंटिंग एरर है, 12वीं रिपोर्ट है ।

MIRI F. H. MOHSIN: The Indian society is a multi-lingual society. The framers of our Constitution rightly felt the need for incorporating in our Constitution a comprehensive scheme for giving necessary protection to the linguistic minorities so that they may develop a sense of security and are in a position to conserve and develop their own script and language. Articles 29, 30, 347, 350 and 350A of the Constitution have a direct bearing on the safeguards for the linguistic minorities. The last article was introduced in the Constitution to give further safeguards to the linguistic minorities in the matter of instruction in the

[Shri F. H. Mohsin]

it is with a view to discussing this report
that I move this motion.*The question was proposed.*

mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups in the light of the recommendations made by the States Reorganisation Commission. From time to time decisions have been taken at the national level and specially in the meetings of the Chief Ministers and the Central Ministers held in August 1961 to evolve specific schemes for safeguarding the interest of linguistic minorities in the matter of educational and administrative facilities. As a result of these decisions a scheme of safeguards has emerged and it is the duty of every State Government and the Union Territory Administration to make administrative arrangements for implementing the scheme.

In accordance with article 350B of the Constitution, the office of the Commissioner for Linguistic Minorities was set up in 1957. The main functions of the Commissioner are to investigate in accordance with the provisions of article 350(2) all matters relating to safeguards provided for linguistic minorities and to report to President upon these matters at such intervals as the President may direct. The Commissioner prepares annual reports regarding implementation of Constitutional safeguards as also safeguards agreed to at the national level for the linguistic minorities. The Commissioner also receives complaints from the linguistic minorities and takes up the matter with the concerned State Governments for remedial action. However, the Commissioner is not an executive agency and the main responsibility for implementing the agreed safeguards is that of State Governments. The reports of the Commissioner are welcome inasmuch as they give an accurate and impartial account of the position of facilities that have been assured to be provided to the linguistic minorities. As the deficiencies in this regard are highlighted in the report Statewise, these have been of great help to the State Governments and enable them to devise ways and means to solve the problems of linguistic minorities to their satisfaction.

Up till now 12 reports have been laid on the Table of both the Houses of Parliament. The first seven reports were discussed in Parliament, either in both the Houses or in Lok Sabha or in Rajya Sabha and 8th to 12th Reports could not be discussed in Parliament. The Eleventh Report was discussed in the Lok Sabha and Rajya Sabha on the 17th and 18th November 1971 and 24th November 1971 respectively. The 12th Report was laid on the Table of this House on the 13th of April, 1972 and

श्री बनारसी दास (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत की एकता वास्तव में भारत की विभिन्नता के सम्बन्ध में है। हमारा देश बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सी प्रदेशीय भाषायें हैं और हमारी संस्कृति भी जभी पनप सकती है जब कि सभी भाषाओं का पूर्ण रूप से विकास हो। प्रदेशों के साथ भावनाओं का बड़ा भारी संबंध होता है। यद्यपि हमारे संविधान में अल्पसंख्यकीय भाषाओं के विकास के लिये, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में इन भाषाओं के द्वारा, उनके माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था का निर्देशन किया गया है, लेकिन यह हम सब लोगों के लिये बड़े दुःख का विषय है कि अभी तक भाषायी दंगे होते हैं जो कि भारतवर्ष को कलंकित करते हैं। अभी आसाम में बंगाली और असमियों के बीच झगड़ा हुआ, उड़िया और बिहारी भाषा को लेकर झगड़े होते हैं, दक्षिण में अलग भाषायी दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी अल्पसंख्यकों में उर्दू भाषा के लिये बड़ा क्षोभ पाया जाता है।

यद्यपि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 29 के अन्तर्गत यह साफ-साफ लिखा है :

"Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same."

तो यह कांस्टीट्यूशन के अन्दर आर्टिकल 29 में संस्कृति के संरक्षण के लिये, उसके संवर्धन के लिये और उसकी रक्षा करने के लिये विधान किया गया है और आर्टिकल 30 के अन्दर भी कहा है :

"All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

परन्तु संविधान के अन्तर्गत कितना ही संरक्षण क्यों न हो यदि उसके लिये शासकों में भावना

नहीं है तो वह संरक्षण बिल्कुल बेकार हो जाता है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आठवें शेड्यूल के अन्दर जो भाषायें दी गई हैं, उनमें ऐसा लगता है कि बहुमत की भाषा एक पाश्चात्य भाषा, अंग्रेजी भाषा है और बाकी हिन्दी और उर्दू और सभी भाषा माइनारिटी भाषा है। तो न केवल आठवें शेड्यूल में दी हुई उन भाषाओं के संरक्षण की आवश्यकता है, बल्कि हिन्दी जिसको कि राजभाषा घोषित किया गया है, वह भी एक अल्पसंख्यक भाषा हमारे देश की है और उसकी भी रक्षा करने की आवश्यकता है।

सन् 1946 ई० में जब यहाँ शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, महात्मा गांधी ने उसका उद्घाटन किया तब दक्षिण के एक मंत्री ने कहा कि आप आप हमारी सुविधा के लिये कुछ शब्द अंग्रेजी में बोलिये, गांधी जी ने कहा कि यदि आप हिन्दी नहीं जानते तो आप क्यों मंत्री बने। जब अफ्रीका के अन्दर गांधी जी थे तब श्री गोखले सन् 1903 ई० में वहाँ गये, वह हिन्दी नहीं जानते थे तो गांधी जी ने उनसे इस बात का अनुरोध किया कि वह मराठी के अन्दर बोलें और वह स्वयं हिन्दुस्तानी के अन्दर उसका ट्रांस्लेशन करेंगे। गांधी जी सन् 1916 ई० में हिन्दू विश्व-विद्यालय के वाराणसी के उद्घाटन के समय वह हिन्दी में ही बोले, लेकिन आज ऐसा मालूम पड़ता है कि हिन्दी भी एक अल्पसंख्यक भाषा हो गई है। मैं समझ सकता हूँ कि जिन प्रदेशों में हिन्दी भाषा नहीं समझते वहाँ के लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे जो शासक लोग हैं उन पर पूरी तरह से सांस्कृतिक गुलामी की छाप पड़ी हुई है। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजी को वर्तमान स्थान से हटाना पड़ेगा यदि भारत की सांस्कृतिक एकता को, भारत की आजादी को कायम रखना है। लेकिन इससे ज्यादा लज्जा की बात और नहीं हो सकती कि पच्चीस साल के बाद भी आज अंग्रेजी भाषा का साम्राज्य है। चाहे और प्रकार का, राजनैतिक प्रकार का पाश्चात्य साम्राज्य समाप्त हो गया

है, लेकिन अभी भी यह भाषा-गुलामी हमारे देश के अन्दर कायम है।

तो मैं चाहता हूँ कि यह जो कमिश्नर है, उनसे सुनिश्चित यह काम भी किया जाय कि यह राजभाषा जो स्वयं एक रिफ्यूजी बना दी गई है, जिसे अनायास में भेज दिया गया है, जिसे अल्पसंख्यक बना दिया है, उसके संरक्षण के लिये, उसकी रक्षा के लिये उपाय करें और खास तौर से जो मिनिस्टर्स हैं उनकी ब्रेन-वाशिंग के लिये कुछ करें। शासक लोगों के लिये ऐसा मालूम पड़ता है कि अंग्रेजी बोलना उनकी सभ्यता और उनकी संस्कृति का एक बड़ा भारी पैमाना है और उसमें लज्जा नहीं महसूस होती है, जहाँ कहीं बाहर भी जाते हैं तो उसमें लज्जा नहीं महसूस होती। गांधी जी की यह सब से बड़ी खूबी थी कि उन्होंने हमें एक भाषा दी, उनकी एक भाषा थी, एक व्यक्तित्व हमको दिया, जिससे कि हमारी राष्ट्रीयता की एक प्रतिभा संसार के सामने आ सकी, तो उन्हें क्या वजह है कि पच्चीस साल के बाद भी आज वह भावात्मक एकता नहीं है। जब कि हमारे देश में यातायात की सुविधाएं नहीं थी तब यदि गुरु शंकराचार्य ने एक संस्कृत भाषा के जरिये से तमाम देश को एक संस्कृति के सूत्र के अन्दर बांध दिया था। लेकिन आज जब कि स्थान और काल का अन्तर हवाई जहाज के द्वारा भिटा दिया गया है और आज जब कि चन्द्रलोक पर भी लोग पहुंच रहे हैं तब आज के युग के अन्दर भी ये भाषाई झगड़े हों और हमारे देश के अन्दर एक प्रकार की नीति न हो इससे ज्यादा लज्जा की कोई बात नहीं हो सकती।

यह रिपोर्ट हमारे सामने है, लेकिन यह कोई एक दल का प्रश्न नहीं। सवाल एक दृष्टिकोण का है, सवाल एक हृदय-परिवर्तन का है। केवल एक मानसिक दृष्टि से इस प्रश्न पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है, हृदय-परिवर्तन की भी आवश्यकता है और सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की जो राष्ट्रीयता है, उसके प्रति पहली

[श्री बनारसी दास]

निष्ठा हमारे हृदय के अंदर हो, उनकी एक सांस्कृतिक निष्ठा हो। सेनाओं के जरिये किसी देश को मुक्त किया जा सकता है और गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन किसी देश की सांस्कृतिक आजादी को लोगों के हृदय-परिवर्तन द्वारा ही फिर से हासिल किया जा सकता है। मैं यह चाहूंगा कि कम से कम यहां पर तो अनुवाद की सुविधा है, मिनिस्टर को आप आदेश दें कि वे राष्ट्र भाषा के अंदर बोल करें, अगर वह राष्ट्र भाषा के अंदर नहीं बोल सकते हैं, तो क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर बोला करें। कम से कम संविधान का तो वे यहां पर अपमान न करें। राष्ट्रपिता को 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि दें और फिर इस तरह राष्ट्रपिता को रोजाना कसिफाई करें, रोजाना उनका उपहास करना उचित नहीं मालूम पड़ता है। राष्ट्र का जो नेता होता है वह राष्ट्र की मूर्ति होती है।

श्रीमन्, जो अल्पसंख्यक भाषायी लोग हैं—जैसे उत्तर प्रदेश की बात कहता हूँ—हमारे यहां उर्दू अल्पसंख्यकों की भाषा है, तो उर्दू के लिये प्रतिवेदन के 335 पैराग्राफ के अंदर यह कहा गया है कि:

"There are State Government Orders that at the secondary stage arrangements should be made for providing instruction through the medium of minority languages where one-third of the pupils make a request for it. The Rules framed for imparting instruction at the secondary stage in Uttar Pradesh do not appear to provide scope for instruction through any minority language."

तो श्रीमन्, ये इन्स्ट्रक्शन होते हुए, माइन्टारिटी लैंग्वेज के जरिये से सेकेंडरी स्टेज पर वहां शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है और जैसा प्रारंभिक रिपोर्ट के अंदर कहा गया है शिक्षा में प्राइमरी स्टेज पर, कम से कम किसी स्कूल के अंदर 40 लड़के हों और किसी कक्षा के अंदर 10 लड़के अगर मिनिमम हों तो वहां पर माइन्टारिटी भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जानी

चाहिये और सेकेंडरी स्टेज पर भी अपनी मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन वहां व्यवस्था नहीं है, जैसा कि पैराग्राफ 337 में कहा गया है:

"The Uttar Pradesh Government have not agreed to maintain registers for linguistic minority pupils at the secondary stage of education."

अगर एडवांस रजिस्टर्स उत्तर प्रदेश के स्कूल के अंदर नहीं बनेंगे तो वहां पर शिक्षकों और साथ ही विद्यार्थियों के लिये व्यवस्था कैसे हो सकती है। जैसा कि आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा है कि जब तक कि एडवांस रजिस्टर्स नहीं होंगे, तब तक इस साल का पता लगाना भी बड़ा कठिन है कि हायर सेकेंडरी स्टेज पर विद्यार्थियों के लिये, माइन्टारिटी भाषा के माध्यम से किस प्रकार से व्याख्या की जा रही है। जैसा रिपोर्ट में कहा है कि एक केन्द्रीय हैडक्वार्टर में इस बात की व्यवस्था है कि माइन्टारिटी भाषा में यदि कोई प्रतिवेदन हो तो वहां पर एक विभाग है, जिसके द्वारा उसका उत्तर उसी लिपि के अंदर भेजा जा सकता है। यह सुविधा जिला केन्द्रों के ऊपर भी होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश में यह एक स्वागत का विषय है कि वहां पर नोटिफिकेशन और कानून वगैरह को उत्तर प्रदेश के गजट में उर्दू में भी छापने की व्यवस्था की गई है। आज हमारी 58 करोड़ की आबादी है, अगर हम चाहते हैं कि यहां के लोग स्वेच्छा से कानून को अमल में लायें और अपने ऊपर अनुशासन लाएं, संयम से काम लें तो इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हमारे केन्द्र और प्रदेशों के कानूनों की जानकारी उन्हीं भाषाओं के माध्यम से हो जिनको वहां के लोग जानते हैं। इसलिए चाहे केन्द्रीय कानून हों या प्रान्तीय कानून हों, हमारे संविधान में जितनी भाषाएं दी गई हैं, क्षेत्रीय भाषाएं दी गई हैं, जो हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, कोई वजह नहीं कि जितने भी कानून बनते हैं उनका उन भाषाओं में अनुवाद न हो। जैसे हम यहां पर एजेन्डा देखते हैं वह हिन्दी में भी होता है और अंग्रेजी में

भी होता है, लेकिन कानून का जहाँ तक सवाल है, तो हम देखते हैं कि जहाँ 30 लाख, 50 लाख या एक करोड़ के मुल्क हैं उनके यहाँ उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में कानून छापे जाते हैं, तब हमारी सभी भाषाओं में क्यों नहीं छप सकता। जब केनैडा के अन्दर कई भाषाओं में कानून बनाया जा सकता है, सोवियट रूस में कई भाषाओं के अन्दर कानून बनाया जा सकता है, तो क्या वजह है कि हमारे देश के अन्दर जहाँ कई तरह की भाषाएँ हैं, वहाँ की जनता के लिए इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसिजियर कोड और क्रिमिनल प्रोसिजियर कोड का तथा जितने कानून यहाँ पर बनते हैं, उनका सभी भाषाओं में प्रकाशन आवश्यक क्यों नहीं मालूम पड़ता है ?

जिस वक्त 1971 में चुनाव किया गया था, उस वक्त इस बात की आवश्यकता पर बल दिया था, लेकिन जो वादे उस समय किये गये थे वे आज तक पूरे नहीं किये गये। उस चुनाव के सम्बन्ध में बड़ा दावा किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी को मासिव मॅन्डेट प्राप्त हुआ है और हमारे प्रधान मंत्री जी ने लखनऊ में हजरत महल पार्क में जाकर कहा था कि उर्दू यहाँ की दूसरी भाषा होगा। यही चीज श्रीमती इन्दिरा गांधी के गजट कौमी आवाज में भी निकली कि उर्दू यहाँ की दूसरी भाषा होगी। जब चुनाव हो गये तो फिर जनता के नाम रेडियो पर प्रधान मंत्री जी का भाषण प्रसारित किया गया कि “मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसा आश्वासन मैंने दिया है, लेकिन उर्दू की तरक्की होनी चाहिये”। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि माइनारिटीज की भाषाओं के साथ केवल चुनाव जीतने के लिए उपहास न किया जाय। अगर इस तरह की बात की जाती है तो फिर वह भारतीय एकता तथा भारतीय सांस्कृतिक एकता के साथ एक प्रकार से उपहास करना होगा। मैं समझता हूँ कि देश में भावात्मक एकता प्राप्त करने के लिए, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए संकीर्णता से नहीं बल्कि उदारता और सहिष्णुता के साथ काम करना चाहिये तथा

जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, अल्पसंख्यकों की भाषाएँ हैं, उनकी भावना का समादर करना सब से बड़ा आवश्यक कार्य है। यदि हमारे अन्दर समादर नहीं होगा, संकीर्ण दृष्टिकोण होगा, तो इतने बड़े देश को एक सूत्र में बांधना बड़ा कठिन होगा। जब हम चुनाव के वक्त वोटर लिस्ट को सभी भाषाओं में छाप सकते हैं, तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर सभी जिलों में केवल रामपुर और सहारनपुर में क्यों करयानी 54 जिलों में वोटर लिस्ट को जनता की भाषा में क्यों नहीं छापते। जब वहाँ पर पार्टी वाले उर्दू में वोटर लिस्ट को छापते हैं और बांटते हैं तो सब जगह इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है ? जब बनारस और इलाहाबाद में बंगला के अन्दर वोटर लिस्ट छाप कर बांटी जाती है, तो उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक दूसरी जातियाँ हैं, मराठी है, गुजराती है, सिन्धी है और बंगाली है, उनकी वोटर लिस्ट उनकी भाषा में क्यों नहीं छापी जाती है ? जब उर्दू भाषा में वोटर लिस्ट सभी जिलों में राजनैतिक दलों द्वारा छापी और बांटी जा सकती है तो सरकार द्वारा उर्दू में लिस्ट क्यों नहीं छापी और बांटी जाती है ?

इसी तरह से प्रोसीडिंग की बात है, जो स्वेच्छा से जिस भाषा में चाहता है, उसको उस भाषा में क्यों नहीं मिलती है। इसी प्रकार से प्रतिवेदन और शिकायत जो जिला स्तर पर दी जाती है, वह भी लोगों को अपनी भाषा के अन्दर देने का अधिकार होना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा आप वहाँ पर अनुवाद का एक विभाग खोल सकते हैं। लोकतंत्र में जनता के हृदय पर विश्वास प्राप्त करने के लिए इस तरह की सब कार्यवाही करनी चाहिये, क्योंकि आज हमारा देश कोई पुलिस स्टेट नहीं है, अगर हम जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम को उन्हें छोटी सी छोटी सुविधा भी देनी होगी। इसी प्रकार से आज जिस तरह से आसाम के अन्दर दंगे हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ दिन पहिले दंगों में बहुत लोगों की जान चली गई। वहाँ पर जनता

[श्री बनारसी दास]

की यह मांग थी कि यूनीवर्सिटी के अन्दर पढ़ाई का माध्यम आसामी और बंगाली हो। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न क्यों पैदा होते हैं? पहले तो ही दूरदर्शिता से काम क्यों नहीं लेते और स्वयं ही इस चीज के समाधान करने का प्रयास बहुत ज़ोरों से पहले क्यों नहीं करते? जब समस्या विस्फोटक हो जाती है और वह भयंकर रूप में हमारे सामने आती है, तो फिर हम उस पर थोड़ा सा पानी छिड़कने की कोशिश करते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातों से समस्या का हल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपके द्वारा चाहुँगा कि जैसा आयुक्त ने कहा है कि इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट के द्वारा होगा, इसमें कठिनाई क्या है? आज स्टेटों में मुगल साम्राज्य की तरह सूबेदार बैठे हुए हैं। वहाँ पर हुए जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वे दिल्ली के जरिये मुक़रर किये गये हैं। मिर्था साहिब या प्राइम मिनिस्टर को क्या दिक्कत है कि या एक मुगलिया फरमान निकाल दें माइनारिटीज की भाषा को भी उचित स्थान दिया जाये, अगर यह स्टेट का विषय है ठीक है संविधान के अन्दर तो स्टेट मौजूद है, लेकिन वास्तव में तो यह इंडियन यूनियन है, जहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर दिल्ली से फोन द्वारा नियुक्त किया जाता है। गुजरात में सूबेदार ओझा हो गए, मध्य प्रदेश में सूबेदार हैं, वे भी केन्द्र से बने वहाँ पर सेठी मुख्य मंत्री भी हो गये हैं दिल्ली से नियुक्त सूबेदार और मुख्य मंत्री परिवारवाची शब्द बन गए हैं। उड़ीसा के अन्दर श्रीमती नन्दिनी सतपथी हो गई। आज यह क्या उपहास बना रखा है, वे वहाँ पर मुख्य मंत्री बनी हुई हैं और यहाँ की सदस्यता भी बनाए हुए हैं। हम कहते हैं कि इतने ज्यादा लज्जा की बात शासक दल के लिए और कोई नहीं हो सकती है। जिस रोज़ वे वहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर बनी थीं उसी दिन इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिये था। (Interruptions) मैं टी० एन० सिंह जी के बारे में जानता हूँ, जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, तो वहाँ

पर मिली-जुली सरकार थी, लेकिन वहाँ पर शासक दल की सरकार है और आपको आज एक आदर्श रखना चाहिये था। क्या रूलिंग पार्टी को वहाँ की जनता पर विश्वास नहीं है कि वह उन्हें नहीं चुनेगी? जिस दिन नन्दिनी सतपथी वहाँ पर मुख्य मंत्री बनी थीं उसी दिन उन्हें वहाँ से त्याग-पत्र दे देना चाहिये था और चुनाव लड़ कर एक स्वस्थ परम्परा कायम करनी थी।

SHRI S. S. MARISWAMY
(Tamil Nadu): In case she fails, what will happen?

SHRI BANARSI DAS: My dear friend, there are so many here. She can be provided some berth somewhere. She can be provided a

डा० आर० के० चक्रवर्ती (पश्चिमी बंगाल) : प्रोवेंशनरी पीरियड 6 मन्थ्स का होता है, यह प्रोवेंशनरी पीरियड है।

श्री बनारसी दास : संविधान में यह प्रावीजन दी हुई है, लेकिन यह उसकी स्पिरिट नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब टी० एन० सिंह मुख्य मंत्री थे और आप आपित्त करते थे तो आप आदर्श उपस्थित करने का प्रयास कीजिए। जो पार्टियाँ कमजोर हैं, जो पार्टियाँ अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए कुछ श्रवण हो सकता है। लेकिन अगर शासन इन प्रकार का व्यवहार करता है तो उसके लिए न कोई प्रिसिडेंट हो सकता है और न किसी प्रकार का औचित्य हो सकता है।

तो, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ जैसे बिहार के अन्दर उर्दू का स्थान नहीं है, छोटा नागपुर में उड़िया का कोई स्थान नहीं है, बंगाली का कोई स्थान नहीं है, आज जो भाषाई साम्राज्य है, जगह-जगह यह जो अप्रतिष्ठा की भावना फैलती चली जाती है, पंजाब और हरियाणा के अन्दर कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत लिपि का अन्तर है, रोजाना पंजाब और हरियाणा के अन्दर विवाद खड़ा हो जाता है। पंजाब के अन्दर इत्ती-फाक से हिन्दी-भाषी कुछ उधर चले गए तो हिन्दी

उनके लिए विदेशी भाषा बन गई और इतिहास से दिल्ली के आस-पास पंजाबी रह गए तो उनके लिए गुरुमुखी विदेशी भाषा हो गई। यह प्रतिवेदन आपका सही है। सही माने में इसकी भावना के अनुरूप काम किया जाय और सदन इसमें जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं उन पर औपचारिक रूप से नहीं, हृदय से काम किया जाय, क्योंकि यह दल-गत राजनीति का विषय नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रश्न है। इसके लिए हृदय परिवर्तन किया जाय। सबसे पहले, जैसा कि हमारी प्रधान मंत्री जी कहा करती थीं, स्वदेशी की भावना शासक दल के लोगों के दिलों में अपनाई जाय, उनका स्वदेशीकरण किया जाय और स्वदेशीकरण के साथ उनकी भाषा का भी स्वदेशीकरण किया जाय। यह बात न हो कि जवान उनकी हो लेकिन शब्द कहीं और के हों। सबसे पहला सवाल है राष्ट्र भाषा के स्वदेशीकरण का तभी जो अन्य भाषाएं हैं, अल्पसंख्यक भाषाएं हैं, उनका विकास भी होगा। साथ-साथ केन्द्रीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर आदेश दिए जाय कि जो संरक्षण संविधान के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, उनके अनुसार काम किया जाय।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। एक तरफ आप यह प्रतिवेदन पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस सदन में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बिल पेश किया गया था। क्या यह आर्टिकल 30 का उल्लंघन नहीं है? जब मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्था कायम करने का, उसकी व्यवस्था करने का अधिकार है तो मुसलमानों की इच्छा के बिना यह क्यों किया गया? आप आज कामन सिविलकोड नहीं बना सकते; क्योंकि बहुत सी माइनारिटीज नहीं चाहती। जब क्रिप्स मिशन आया था, उस वक्त इस बात का आश्वासन दिया गया था कि समस्त देश की पार्लियमेंट में कोई ऐसा विधेयक नहीं आएगा जिसमें पहले अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं ली जायगी। माना कि विभाजन हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमने टून्शन थ्योरी नहीं मानी। हमने भारत में एक रूपता के सिद्धान्त को माना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या

अलीगढ़ विश्वविद्यालय विधेयक आर्टिकल 29 और 30 के ऊपर बलात्कार नहीं करता। उनके संरक्षण का बड़ा भारी दावा प्रधान मंत्री जी और यह दल करता है, क्या उन्होंने उस पर सदन के मुसलमान सदस्यों की राय ली? उत्तर प्रदेश के मुसलमान सदस्यों ने जो गवर्नमेन्ट में भी बैठे हैं, क्या प्रधान मंत्री को मेमोरेंडम नहीं दिया था अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हमारे संविधान के अन्दर दिये हुए संरक्षणों का आदर किया जायेगा कि उसका स्वरूप क्या होगा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इसका फैसला मुसलमान ही करेंगे तो किस तरह से आपका बनाया हुआ आयुक्त माइनारिटीज की कल्चर, माइनारिटीज की संस्कृति और उनकी भाषाओं का संरक्षण करेगा, जब आयुक्त नियुक्त करने वाले आप इन कदमों से संरक्षणों को समाप्त करके अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो यह चेतावनी का विषय है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इस रुदन करने से कोई लाभ नहीं अहमदाबाद में हाल के चुनाव में माइनारिटीज ने हमारा साथ नहीं दिया। माइनारिटीज कैसे आपका साथ देगी? काठ की हांडी एक बार चढ़ सकती है। आप जो 22 प्रतिशत मत ले कर यहां बैठे हैं वह केवल मुसलमानों और हरिजनों के भरोसे ही आप यहां बैठे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के प्रति यदि आप में इतनी कृतज्ञता भी नहीं है, जिनके बल पर आप यहां सत्तारूढ़ हैं, कि आप उनके अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर सकते तो आपका यह दिवालियापन ही है। हार्दिक और बौद्धिक। उसके साथ हमारी और सदन की हमदर्दी ही हो सकती है। तो मैं अर्ज करूंगा कि संविधान के द्वारा जो संरक्षण उन को दिये गये हैं उनको उनकी भावना और राय के अनुसार पूरी तरह से अमल में लाने का प्रयास कीजिए और केवल इस बहाने कि यह विषय तो प्रदेश का है इस जिम्मेदारी को टाल देना, यह आपके लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता, न आप के लिए कोई बहाना हो सकता

[श्री बनारसी दास]

है। जबकि ऊपर से ले कर नीचे तक आपका कंट्रोल है, जहां आपके दल की सरकार नहीं भी होती है, वहां आपके पास संविधान द्वारा प्रदत्त बहुत बड़ी शक्ति है और अगर नहीं भी है वही आपकी सरकार डिफेक्शन के दल पर सरकार गिरा सकती है। डिफेक्शन को रोकने का बिल भी ला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप रोज डिफेक्शन कराते हैं और इसलिए अगर जरूरत हो तो गवर्नमेंट को डिफेक्शन के द्वारा बदल भी सकते हैं और अपने सुबेदार कायम कर सकते थे, जैसे श्रीमती नन्दिनी शतपथी को आपने उड़ीसा में बैठा दिया है, तो यह कोई बहाना नहीं है कि क्योंकि वहां प्रदेशीय सरकार है, इसलिये हम केवल उनके गुड सेस से अपनी मदद कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि कोई बजह नहीं है कि आप क्यों न इन सरकारों को पूरी तरीके से अमल में लायें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: MR. N. R. CHOUDHURY.

SHRI N. R. CHOUDHURY (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, today we are discussing the Twelfth Report of the Linguistic Minorities Commission. At the moment, linguistic minorities in Assam have become a prey to linguistic chauvinists of the State. So, Sir, I, being the sole representative of the linguistic minorities of the State, shall confine my discussion only to the happenings in Assam.

Sir, Assam as a Chief Commissioner's province was carved out in 1874, with three Bengali-speaking districts which were integral parts of Suba of Bengal, and five Assamese-speaking districts and some hill districts, with unrelated, tribal language of their own.

Sir, if we just study the census figures of Assam right from 1911, we will find that some miracle has happened there in every census, particularly within the period between 1931 and 1951. In the 1931 census, the Assamese-speaking people in Assam comprised only 28.15 per cent of the total population of Assam. The Assamese-speakers were in minority in all the districts, except Kamrup and Shibsagar districts. At present, in the State of Assam, Kachar is the only Bengali-speaking district, according to census figures.

Now, I will draw your attention to the census figures of Goalpara district. In Goalpara district in 1911, the percentage of

Bengali-speaking population was 52.1, and that of Assamese-speaking population was 19.1 per cent. In 1931 Bengali-speaking population was 54 per cent and Assamese speaking population was 18.31 per cent. In 1951 the picture miraculously changed. In 1951 the figures stand at 17.4 per cent, for Bengali-speaking population and 02 per cent for Assamese-speaking population. The then Census Commissioner remarks this to be a biological miracle.

SHRI GOLAP BARBORA (Assam):

Who was that gentleman?

SHRI N. R. CHOUDHURY: I do not know; it is there in the Census Report of 1951.

SHRI GOLAP BARBORA: Is it Asoke Mitra?

SHRI N. R. CHOUDHURY: In 1911, according to the census figure, the percentage of Assamese speaking population in the whole State of Assam was 51.4 per cent and in 1951 it increased to 56.7 per cent; and all other linguistic groups in Assam declined. Now, Sir, the Census Commissioner has made an observation on it. In 1951 there was a condition that the census was related to ownership of land and there was a fear among the linguistic minorities of the State that if they did not record themselves as Assamese speakers then they might be deprived of their ownership on land. So some people enrolled themselves as Assamese-speakers. But in 1971 the trend reversed because of the fact that with the advent of Bengla Desh there was no bar of being deported and also by that time pucca patta had already been issued to many. So they were free from those fears and the trend reversed. The present figure we know non-officially; officially, you will be surprised to learn that till today the linguistic breakup of census for 1971 has not been published and it will not be published now.

SHRI F. H. MOHSIN: It will be published, don't worry.

SHRI N. R. CHOUDHURY: So, the position, as we know non-officially, is that non-Assamese speaking people comprise 58 per cent of the total population of present Assam and 42 per cent of Assamese-speaking people.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): Is it your personal estimate or there is some record?

SHRI N. R. CHOUDHURY: It is non official I said. . . (interruption) . . .

It is not impossible; it is possible. Not that it is convenient. In 1931 it was 31.4 per cent, [if the number can rise to 56 per cent

SHRT NAGRSHWAR PRASAD
SHAHI
(Uttar Pradesh): Government goes for the help of the Bangla Desh refugees but it cannot do anything for these Assam refugees. Ask your Prime Minister what, she is doing about these people.

SHRI N. R. CHOUDHURY: Now, Sir, I like to draw your special attention to what happened in the Assam Medical College, Dibrugarh. When the riot broke out in Dibrugarh, the Assamese students, aided by some staff of the Medical College at the connivance of the Principal, attacked the students and the teaching staff of the Medical College. They went to the Principal and sought his help for protection. But he refused. Then they appealed to him saying "You please arrange for police protection for us. We want to leave the hostel for a safer place. But again he refused". So they

[Shri N. R. Choudhury] fled helter-skelter, and when they fled like that, many of them were killed. Among them, one post-graduate student, Dr. Manisli Das, was brutally killed there. The most surprising fact is that the Academic Council of Gauhati University condoned the deaths of Assamese-speaking students, namely, Anil Bora, Mugotmil Hoque and sonic others, bin they did not condole the death of even Dr. Manish Das, who was a post-graduate student and also a member of the staff of the Dibrugarh Medical College. Everyone condoned the deaths of four cir live persons who were killed mysteriously. I use the word 'mysteriously' because who has killed them and how they were killed is vet to be found out. All the same, their death have been mourned but so many people belonging to the minority linguistic group died and their deaths have not been condoned l> the very same people. Then another case. The entire village of Netaji Colony near Duliaja was surrounded by the rioters and the entire village was burnt.

When the houses were burning . . .

SHRI KALYAN ROY (West Bengal): What were the police doing at that time?

SHRI N. R. CHOUDHURY: I am telling you. When the houses were burning the inmates were prevented from coming out and anybody who attempted to come out was i li row n into the fire.

SHRI KALYAN ROY: By the police?

SHRI N. R. CHOUDHURY: No, by the rioters. The police came three hours after when the curfew had been clamped. Our estimate is that about a hundred people lost their lives in that particular village, and just under the cover of curfew the dead bodies were lifted from that place and all traces of death were effaced. As I said, the press was censored. Now, Sir, the Consti-lution gives the right to the linguistic minorities in the matter of education. Articles 29 and 30 provide that any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. So no State can deny these rights to the linguistic minorities. Sir, in Assam, as you may know, an institution may be established by the linguistic minorities but they cannot control it. The constitution of governing bodies of colleges is such that even though linguistic minorities may establish a college, they cannot control it. They cannot control it mainly because in our State educational institutions are controlled by Government. So the linguistic minorities have no control over their institutions. You

niu\ imagine, Sir, if the fate of a person becomes like the fate of those boys of Pandu College, how the linguistic minorities can live there with their rights. Now, the Assam Government has ordered a judicial enquiry in two or three cases where two or three Assamese boys have been killed. Why should not such an enquiry be instituted in the case of the Assam Medical College and other places where the riot had taken a dangerous shape? Why should not some such judicial enquiry be instituted? That is one point. I, on behalf of the linguistic minorities of Assam, through you, appeal to the Government of India that some steps should be taken and particularly about the activities of the Principal, Assam Medical College, the Deputy Commissioner, Now-gong and also the Police Superintendent, Dibrugarh. A judicial enquiry should be instituted in the interests of linguistic minorities. Not only that. Within this short time I cannot explain the whole thing. The matter of Dibrugarh, Golaghat, Duljia and Nowgong is inexplicable. It cannot be explained. Onl) a judicial probe can unearth the truth. Truth should be unearthed. Truth has not come out. Even the press has been suppressed. So, in the interest of humanity I appeal to the Government of India, through you, to institute a judicial enquiry into the whole affair which is going on in Assam today. Thank you, Sir.

श्री ओ३म् प्रकाश त्यासी (उत्तर प्रदेश) :
उपसभापति महोदय, आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है। भाषा किसी भी देश की भावना और आत्मा की प्रतीक होती है। अगर किसी देश को मारना हो, उसकी वर्तमान संस्कृति और सभ्यता को समाप्त करना हो तो उस पर गोलियां चलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसकी भाषा खत्म कर दीजिए, उसका धर्म, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इसलिए हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा को और माइनारिटीज भाषाओं को महत्व देते हुए जो कुछ लिखा गया है वही शब्द मैं पढ़ना चाहता हूँ:—

"To achieve full integration it is necessary to realise the unity of the people as also the ii fundamental equality enshrined in the Constitution. The Constitution provides necessary safeguards relating to language, culture, freedom of speech, freedom of worship, equality of opportunity in matters of recruitment to service, in trade and commerce, etc."

उसके बाद संविधान के आर्टिकल 29 (ए) में लिखा है :-

"Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same."

देश में रहने वाला कोई भी भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग जिसकी अपनी भाषा है, जिसकी अपनी सभ्यता और संस्कृति है वह मर न जाय, इसलिए अल्पसंख्यकों की भाषाओं की सुरक्षा हमारे विधान ने दी और समूचा देश न मर जाय, इसके लिए उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी को घोषित किया। मैं यहाँ यह कह देना आवश्यक समझता हूँ कि जिन लोगों को यह खयाल हो कि हिन्दी की जगह अंग्रेजी को राजभाषा बना कर हम इस देश को जीवित रख सकेंगे, वे भ्रांति में रहते हैं। किसी भी विदेशी भाषा को यदि किसी देश की राष्ट्रभाषा का रूप दे दिया जाय तो वह सामाजिक, धार्मिक सभी दृष्टियों से समाप्त हो जाता है। इसलिए आज हमारी सरकार को राष्ट्रभाषा और अल्पसंख्यक भाषाओं की ईमानदारी से सुरक्षा करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैंने इस कमिशन के रिपोर्ट को पढ़ा है, लगभग सभी प्रान्तों में भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण देने की चेष्टा की है, कहीं अधिक कहीं कम। ठीक है शिकायत हो सकती है, परन्तु इसमें एक बहुत बड़ा महान चमत्कार मुझे देखने और पढ़ने को मिला। मैं आपके द्वारा उसी की ओर ध्यान दिलाता चाहूँगा।

जब कमिशन पंजाब में अध्ययन के निमत गया तो आप देखेंगे कि पंजाब की गवर्नमेंट ने वहाँ क्या रिपोर्ट दी है। अपनी रिपोर्ट को धारा 254 में कमिशन लिखता है :

The latest position about Implementation of the safeguards for linguistic minorities was sought from the Punjab Government as was done with regard to other States and Union Territories for writing

The present Report. The Punjab Government have stated that after reorganisation, Punjab has become a unilingual State and there is now no linguistic minority whatsoever. The Punjab Government have also said that since there is no linguistic minority in the State, the question of supplying the information asked for in the Questionnaire regarding implementation of safeguards for linguistic minorities does not arise.

यह पंजाब गवर्नमेंट विचार व्यू है कि पंजाब में कोई भी भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है और इस कमिशन की रिपोर्ट क्या है। अध्यक्ष महोदय, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस कमिशन ने पंजाब की खोज करने के बाद अपनी राय क्या दी है, यह मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी राय दी है कि :

It has been pointed out to the Punjab Government that their statement that there is no linguistic minority whatsoever in the State does not appear to be factual. The first ten language groups (Punjabi, Hindi, Urdu, Nepali, Tamil, Malayalam, Kashmiri, Pahari-unspecified, Marathi and Dogri) in the reorganised State, supplied by the Director, Census Operations, Punjab, have also been intimated. And the Punjab Government have been requested to implement the various safeguards for linguistic minorities in conformity with the agreed all India policy. The matter has also been brought to the notice of the Ministry of Home Affairs, Government of India. Nothing further has been heard till the writing of the Report.

यह कमिशन की मान्यता है कि दस लिग्विस्टिक माइनारिटीज हैं पंजाब में और यह उनकी रिपोर्ट है और उसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय, उस गवर्नमेंट की स्थिति क्या है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। कमिशन ने पंजाब सरकार की वर्तमान भाषायी नीति का वर्णन करते हुए लिखा है कि :

At all levels of instruction, Punjabi will be the First Compulsory Language and the medium of instruction.

जहाँ यह है संविधान के अनुसार हर माता पिता को अपनी मातृभाषा में अपने बच्चे को पढ़ाने का अधिकार है प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पंजाब में वह कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई

[श्री श्रीशम्भू प्रकाश त्यागी]

लिखित माइनरिटी नहीं है। हर एक को गुरुमुखी पढ़नी ही पड़ेगी। यह वहाँ की स्थिति है। समापति महोदय, हमारे लिए यह चिन्ता का विषय इसलिए है कि पंजाब में बोली भले ही पंजाबी हो, लेकिन वहाँ के हिन्दू हिन्दी लिखते हैं जो 40 परसेंट की माइनरिटी में हैं और मैं उसका एक प्रमाण देना चाहता हूँ कि हिन्दुओं की आज तक कोई भी धर्म पुस्तक, रामायण, महाभारत या अन्य कोई धर्म ग्रंथ पंजाबी या गुरुमुखी भाषा में नहीं छपी और मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूँ कि सिख लोगों के जो अपने धर्म ग्रन्थ हैं, जो उनका गुरु ग्रन्थ-साहब है वह भी उनके गुरुओं ने हिन्दी में ही लिखा और बाद में गुरु अंगद साहब के समय में यह गुरुमुखी शुरू हुई और आज वहाँ सब लोगों पर गुरुमुखी लादी जा रही है। इतना ही नहीं पंजाब की जो स्थिति है, जो स्थिति वहाँ चल रही है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिपोर्ट में धारा 258 इस प्रकार है :

3 P.M.

"In July 1969, the State Government issued instructions to the effect that Punjabi would be the medium of instruction at both the primary and secondary stages. In December 1969, the State Government amended their earlier instructions to enable private aided schools to continue as hitherto. Even this policy falls short of the agreed scheme of safeguards for imparting instruction through the mother-tongue at the primary and secondary stages of education. Several representations have also been received from Hindi-speakers for facilities for instruction through the mother-tongue. These have also been brought to the notice of the State Government. It is felt that the Punjab Government should agree to the provision of facilities for instruction through the mother-tongue if the stipulated number of pupils are available in any school."

यह कमिशन की रिपोर्ट है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने केन्द्रीय सरकार के तमाम इन्स्ट्रक्शंस को, तमाम हिदायतों को फाड़ कर फेंक दिया है और वहाँ की स्थिति आज यह है कि कमिशन अपनी रिपोर्ट में लिखता है :

"During the Commissioner's visit to Punjab in November 1969, the Chief Minister said that calendars and publicity materials were printed both in Punjabi and Hindi. Punjabi, Hindi and English were being used on signboards and milestones."

लेकिन कमिशन ने जब जांच की तो कमिशन ही अपनी रिपोर्ट के पैरा 262 नम्बर पर लिख रहा है।

"On a complaint that the entire official work in Punjab was being carried on only in Punjabi, the State Government have said that under the Punjab Official Language Act, 1967, Punjabi is the State Official Language at all levels of administration."

उपसमापति महोदय, इस कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार, आपकी संविधान के अनुसार जहाँ कहीं स्कूल में 40 बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में जिस किसी क्लास में 10 बच्चे हैं तो यह प्रत्येक स्टेट की ड्यूटी है कि उनको उनकी मातृ भाषा में पढ़ाने की व्यवस्था करें। इस सम्बन्ध में दूसरे प्रान्तों ने चेष्टायें भी की हैं और केन्द्रीय सरकार ने भी इसके लिये निर्देशन किया है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने कहीं भी किसी भी प्रकार से नहीं माना है। अभी आप यहां अपने नजदीक में देख लीजिए आपका गुडगांव डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर मुसलमान बड़ी मेजरिटी में रहते हैं, उनकी भाषा उर्दू है वृद्ध पंजाबी हिन्दू भी तमाम उर्दू पढ़ते हैं, उसके मायने यह है कि जो आज तक उर्दू लिखते रहे और पढ़ते रहे वह आज कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आज के इस वर्तमान युग में अखबार नहीं पढ़ें। सौभाग्य से पुराने काल से जो उर्दू अखबार यहां चलते हैं, यह "मिलाप" है "प्रताप" है, उनके कारण से पंजाब के लोगों को कुछ प्रकाश मिलता रहता है, लेकिन सोचें तो कि अब वहां की स्थिति क्या बनेगी, उनके बच्चों का क्या होगा, वह धार्मिक शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। मैं हिन्दुओं के बच्चों की दृष्टि से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे हिन्दी भाषा तो वह रामायण, महाभारत कैसे पढ़ेंगे, अपने

धर्म ग्रन्थों को कैसे पढ़ेंगे। वह फिर क्या हिन्दू रह जायगा। वे नाम को हिन्दू रह जायेंगे।

रिपोर्ट में आया है, पंजाब गवर्नमेंट ने बताया है कि हम चौथी क्लास से हिन्दी अनिवार्य करते हैं। कहा है कि चौथी क्लास से हिन्दी कम्पसरी हम ने कर दिया है। उपसभापति महोदय, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश बच्चे पहली और दूसरी क्लास को पास करते करते ही स्कूल से निकल कर चले जाते हैं, ऐसे बच्चों के भागने की रिपोर्ट 40 परसेंट, 50 परसेंट के लगभग पहुँच चुकी है, तो अगर बच्चे दूसरी और तीसरी श्रेणी से भाग कर निकल गये तब तो हिन्दी पढ़ने का उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा पंजाब में, फिर वह अपनी रामायण भी नहीं पढ़ सकेंगे, वेद शास्त्रों की बात तो बहुत दूर चली जायगी। फिर हम क्या वहाँ आत्म हत्या कर लें। मैं गवर्नमेंट से जानना चाहता हूँ कि...

श्री को० प० सुब्रह्मण्य मेनन : रामायण तो सब लैंग्वेज में होती है।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : यही मैं कह रहा हूँ। आपको जानकारी नहीं है। गुरुमुखी में नहीं है। जो पंजाब में स्टेट लैंग्वेज है, उसमें हमारा कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए।

इतना ही नहीं है, गवर्नमेंट में नौकरियों की स्थिति भी विचित्र है। कमीशन की रिपोर्ट बोलती है :

"The State Government have not furnished any information about the language qualifications for recruitment to the State services."

अंत में कमीशन की रिपोर्ट में है कि :

"State Government have not published a pamphlet detailing the safeguards for linguistic minorities available in the State."

उपसभापति महोदय, पंजाब गवर्नमेंट ने कमीशन को रिपोर्ट दी कि हम हिन्दी और पंजाबी दोनों में अपने पैम्फलेट छाप रहे हैं—कमीशन की रिपोर्ट है। पंजाब गवर्नमेंट ने झूट बोला है। उपसभापति महोदय, मैं गवर्नमेंट के सामने यह सवाल करना चाहता हूँ—आपकी पालिसी क्या है? आपने संविधान के प्रति शपथ ली है, अगर आप संविधान को ईमानदारी से मानते हैं, तो फिर ईमानदारी के साथ सभी प्रांतों में, जो भी वहाँ पर भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके भाषाओं की रक्षा करनी चाहिए। पंजाब में स्थिति दयनीय बन गई है सभापति महोदय, समूचे भारतवर्ष में, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के बाद आर्य समाज का ही नम्बर आता है। पंजाब में हमारे हजारों प्राइमरी स्कूल, सैकड़ों हाई स्कूल और कालेज हैं। नानक युनिवर्सिटी बनी पटियाला में। हमारे तमाम स्कूलों को, कालेजों को आर्डर दे दिए कि आज के बाद में हिन्दी नहीं, मीडियम आफ इन्स्ट्रक्शन आपकी गुरुमुखी होगी। हमारे सामने कोई रास्ता नहीं रहा। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील की। वहाँ से हमको अपने अनुकूल निर्णय मिला कि जबर्दस्ती हमारे ऊपर गुरुमुखी भाषा लादी जा रही है जब कि सबको अधिकार है किसी प्रान्त में चले जाओ, लिगुइस्टिक माइनारिटी वाला अपना स्कूल अलग चला सकता है। सुप्रीमा कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया, तब हम उनके इस अन्यायपूर्ण जाल से निकल कर बाहर आए। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ—मुझे क्षमा कीजिएगा—यहाँ गवर्नमेंट का नारा है सत्यमेव जयते है। गवर्नमेंट सेकुलर है—सब धर्मावलम्बियों के साथ, सब प्रांतों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, व्यवहार में ऐसा नहीं है। कहीं प्रेसीडेंट का आर्डर गया है, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश सरकार को गया है। अल्पसंख्यक वर्ग, जिनकी भाषा उर्दू है, उनके सेफगार्ड के लिए गया है, जिनका अनुपात 10.12 या 14 परसेंट तक होगा। मैं स्वागत करता हूँ, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। मैं तो

श्री [ओ३म् प्रकाश त्यागी]

यह कहता हूँ, अगर एक परसेंट भी कहीं किसी प्रान्त में अल्पसंख्यक भाषायी वर्ग है, तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए।

श्री महावीर त्यागी : यह समझना चाहिए कि उर्दू कोई अलग चीज नहीं है। उर्दू और हिन्दी का फर्क सिर्फ लिखने का है। बोल चाल में करीब-करीब एक सी है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हिन्दी की एक शैली है उर्दू।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : मेरी और आपकी दृष्टि में तो एक ही है, पर बहुत से पागल नहीं मानते। वे कहते हैं ये दो हैं और इस आधार पर अलग भाषा की डिमांड करते हैं।

पं० भवानी प्रसाद तिवारी (मध्य प्रदेश) : सवाल यह है कि यू० पी० में अलग भाषा मानी गई है या नहीं।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : आज का प्रश्न यह नहीं है। मैं यह मान कर ही चल रहा हूँ कि उर्दू अलग भाषा है, उसको सेफगाई मिलना चाहिए और उसकी लिपि अलग है, पारसी लिपि है। जब इस गवर्नमेंट की दृष्टि उत्तर प्रदेश पर जा रही हो, बिहार पर जा रही हो, तो पंजाब उनकी नाक के नीचे होते हुए हमारी सरकार की दृष्टि वहाँ क्यों नहीं जाती?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : वहाँ तो बोट लेना है।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : बस, यही बात है। आज हमारी गवर्नमेंट का सत्यमेव जयते का नारा और कुछ नारा नहीं है, यह कर्सी का नारा है, बोट-कैचिंग नारा है। "मुसलमानों उर्दू तुम्हारी सेकेन्ड लैंग्वेज बना दी जाएगी, हमको बोट दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमान अगर अबकी जीत जाएंगे तो उर्दू हो जाएगी सेकेन्ड लैंग्वेज। और बोट लेने के

पश्चात् गवर्नमेंट इशारा करती है हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया था। अमी बनारसी दास जी बोल रहे थे चुनाव से पहले क्या वायदे किए और जब वाद में पुछा गया तो कहा वह तो हमारे चुनाव नारे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को ईमानदारी के साथ अपने वादों को संविधान की धाराओं के अनुसार पूरा करना चाहिए। कमीशन की रिपोर्ट मेरी अपनी नहीं है और मैंने जो कई प्रमाण दिए वह गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त कमीशन के आधार पर दिए।

अंत में एक बात कह कर अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। हमने 1957 में पंजाब में भाषायी आन्दोलन किया था। दुर्भाग्यवश आज गृह मंत्री जी की सीट पर स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पंत जी नहीं हैं, परन्तु सौभाग्य से उनके गुपुब हैं। मुझे खेद है कि वे आज सदन के अन्दर नहीं हैं। मैं इस बात की ओर इशारा करना चाहूँगा कि हमने 1957 में उन्हीं धाराओं के आधार पर जो संविधान में हमें अल्पसंख्यकों के लिए दी गई है, पंजाब में आन्दोलन किया था। हमने स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पंत जी की अपील पर और केन्द्रीय सरकार के आश्वासन पर कि आर्य समाज के लोग हमें अवसर दें कि इस समस्या का समाधान कर सकें, हम समस्या का समाधान आपस में बातचीत के द्वारा कर सकें, हमने सरकार की अपील पर और उसके आश्वासन पर आन्दोलन को वापस ले लिया। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने उस आश्वासन को फाड़ कर रही की टोकरी में डाल दिया है।

आज मैं सरकार से इतना कह देना चाहता हूँ कि वह इसको चेतावनी न समझे, चेतावनी भी समझे एक तरह से कि सरकार कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार दिलाये और उनकी भाषा की सुरक्षा करे। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, तो पंजाब में शान्ति नहीं रह सकेगी, वहाँ पर तीव्र आन्दोलन होगा और हम आसानी

से आत्म हत्या कर लेंगे, यह कभी नहीं हो सकेगा, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जब वहाँ पर अकाली और जनसंघ की गवर्नमेंट थी, तो उस समय कांग्रेस पार्टी और गवर्नमेंट पार्टी के लोग हमारे खिलाफ आन्दोलन कर रहे थे। उस समय ये लोग कह रहे थे कि जनसंघ वाले और अकाली वालों ने हिन्दी को उचित स्थान नहीं दिया है, माइल स्टोनों पर हिन्दी में लिखा हुआ नहीं है और हिन्दी के पैम्फलेट्स नहीं निकाले जा रहे हैं। इस तरह से उस समय कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह सरकार यह कार्य नहीं कर रही है, वह कार्य नहीं कर रही है। अगर तुम हमको वोट दोगे तो हम हिन्दी को हर तरह से बढ़ावा देंगे और हिन्दी की रक्षा करेंगे। लोग उस समय बहकावे में आ गये और उन्होंने कांग्रेस को वहाँ पर वोट दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर सत्प्रतिष्ठित कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। जब वहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी एजुकेशन पालिसी बही रहेगी जो अकाली गवर्नमेंट की थी। इस तरह से चुनाव जीतने के बाद इस सरकार ने वहाँ की जनता को धोखा दिया, पंजाब की जनता को धोखा दिया।

मैं अंत में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर देश में आप एकता चाहते हैं, तो आपको राष्ट्र भाषा हिन्दी की सुरक्षा करनी होगी। अगर आप चाहते कि देश में सभी वर्ग समान रूप से उन्नत करें, सभी धर्मों और सभी भाषाओं की सांस्कृतिक सुरक्षा हो, तो सभी अल्पसंख्यक वर्ग और भाषाओं की सुरक्षा करनी होगी। अगर आप पक्षपात करते हैं, जैसा आपने पंजाब में किया, तो न फिर देश में एकता रहेगी और न ही शान्ति रहेगी।

मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट अपने कमीशन की रिपोर्ट का स्वागत करेगी और उसे उसके अनुकूल आचरण भी करना होगा और विशेष रूप से पंजाब में जो अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग है, उसको अधिकार दिवाना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, while going through the Twelfth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities, the first thing that strikes my mind is that we have established a Commissioner's Office for protecting the cultural and educational rights of the minorities, but we have not made sufficient provisions to see that the observations of the Commissioner are implemented by the State Governments in toto. Even when the honourable Minister was moving the motion for discussion, he also pointed out that it would be useless to criticise the Commission as it is not an executive agency. I can only admit it. It is no use criticising the Commissioner because some of the observations made by him are not being implemented. But then what purpose would it serve if the observations of the Commissioner are thrown to the wind by the State Government and the State Governments do not take into account the observations suggested by the Commissioner for the protection of the rights of the minorities based on language? If we go through the conclusions of the Commission we will find that many of the recommendations made by the Commission—by this Commission as also by the earlier Commission—have not been implemented. Not only that. Some information sought from the State Governments is not being provided to the Commission to enable it to arrive at a correct picture. Therefore, is it not necessary for the Government of India to make certain mandatory provisions by which the State Governments will be obliged to comply with the observations of the Commissioner who holds a Constitutional position—under the Constitution of India. If I am permitted to quote from the report, on page 73, in Chapter III, para 521, the report says:

"In order, therefore, to have a consistent policy followed throughout the country so that no member of the linguistic minorities in any part of the country is placed at a disadvantage, the only course would appear to be to make the provision in Article 350A of the Constitution mandatory."

I would like to know from the honourable Minister what steps the Government is taking to implement this observation of the Commissioner for linguistic minorities. Not only this. It appears from the reports of the various States that the States are insisting against the principle established for the recruitment to All-India Services and Services belonging to other high categories. Various State Governments are trying to

[Shri Pranab Kumar Mukherjee] create great inconvenience for the new entrants into service that knowledge of the regional language is a must. In spite of the observations in the earlier reports and this report many State Governments are still taking the same old attitude and are following the same old policy. Therefore, I would like to know from the honourable Home Minister what steps the Government is going to take in regard to this.

Now coming to the problem of linguistic minorities certain things have been pointed out. In my friend and every one of us knows what is happening in certain parts of the country over the language issue. I do not want to blame anybody nor do I want to say that it has been done deliberately by one group of people speaking a particular language. But at the same time it is really surprising that in a country which leads in the illiteracy map of the world, in a country where 358 million people are illiterate, riots are taking place, arson is taking place, looting is taking place, murders are taking place, to decide what the medium of instruction should be. In a country like India, with 358 million illiterate people we are having a quarrel as to what the medium of instruction should be. We are having a quarrel over what the medium of instruction should be at the university stage. Therefore, if somebody draws this conclusion that this riot is the null and void of mere linguistic chauvinism or mere love for one particular language and hatred for any other language, I consider it would be an oversimplification of the process. If we closely follow the trends in Assam we will find that language chauvinism exists in a section of the people there. I must say that language chauvinism is there among Bengali speaking groups and Assamese speaking groups. At the same time there are other forces and powers which use this chauvinism to fulfil their nefarious purposes. We should not allow ourselves to be carried emotionally and come to the conclusion that the whole riot has taken place merely because of language chauvinism.

Mr. Deputy Chairman, you will be astonished to know that when on the 5th October both the Congress and the Communist Parties of Assam were going to have a joint demonstration on economic issues, on the 4th October, thousands of leaflets were issued and a sudden call for Assam bandh was announced. Hundreds of automobiles were used to carry people. Who provided funds for using hundreds of automobiles to frustrate the economic demands jointly taken up initiated by the Congress and Communist Parties of Assam? Is it not obvious that there was some other

agency with power and money at the back? There are, therefore, some interested sections who want to take advantage of this and in Assam the same thing has taken place.

Mr. Deputy Chairman, I was going through the various memoranda submitted for the protection of minority rights in Assam and the Resolutions passed by the Academic Council of the Gauhati University and the Assam Assembly. There is hardly anything in them which could not be compromised. I feel that the whole unfortunate incidents could have been avoided if the Assam Government had tackled the situation with a little more tactfulness. Assam Government should have been aware of the fact that in Assam itself there were various forces willing to take advantage of even the slightest provocation. In fact that whole of Assam might be regarded as a backward State, and in such a State the main issue for the language riot becomes the medium of instruction. How many people of Assam are literate? What is the percentage of literacy there? How many students are graduated from Assam every year? Only two universities are there. Still riots are taking place on the language issue. You will be astonished to know that during the short span of 11 to 15 years 8 language riots have taken place there. It is now for the Government of India and particularly for the Home Ministry to go into the depth of this problem and find out why on such trifling issues as the switching over of the medium of instruction from English to Assamese riots take place. They should go into the depth of the problem and constitute a high power judicial committee to unearth the truth behind it, as has been pointed out by my friend there. If they demand that (here should be an area where Assamese should be the medium of instruction and Assamese should be the official language, let it be accepted. I may demand the same in my State there should be areas where I could speak Bengali and where official transactions should take place in Bengali. Assamese people have also every right for this. But we cannot shut our eyes to the Constitutional rights and guarantees given to the linguistic minorities. Sufficient safeguards should be there to protect these rights. In a country like ours where (here are so many languages spoken, only 14 or 15 languages are included in the Eighth Schedule. But there are more than 200 languages and dialects, spoken in this country.) If we think that we could impose one language on the other then we must realise that it can lead only to troubles which cannot be easily handled. It is this that I find here. Some sections of the people (who) are interested to discredit the Government and strike at the root of

national integration, create troubles and catch (ish in that troubled water. I hey lake advantage oi ever; opportunity thai presents itself to carry out their nefarious activities. Unfortunately, the leaders of Assam—Mr. M. M. Choudhury is here and he will agree with me—did not foresee that an incident like this may lead the country anywhere. Again, the same thing has happened, the Academic Council of the Gauhati University allowed itself to be sub-I io the pressure of a handful ,ol students. I can tell you, Sir, that if the resolution adopted by them on the 6th of June was not modified on the 12th June, il they had nol insisted on having Assamese as the sole language and il tin- resolution as it was adopted on the 6th June would have been allowed, then. Sir, perhaps (his would nol have taken such an ugly turn. Mr. Deputy Chairman, Sir. I would request the honourable Home Minister to look into the affairs now. A section of the employees,

soi.....I the employees, as it appears from the reports which I myself possess, at least sonic of the officers, directly indulge in linguistic agitations, directly indulge in linguistic chauvinism and each and every officer belonging to this type must be sacked and they must be dealt with according to law and they must be punished for their linguisti. At the same time. Sir. I would tell both the Assamese-speaking people and the Bengali-speaking people that in our country al a juncture like this we should nol take any extreme step and we should not take am extreme position as it would not lead us anywhere. But, Sir, I understand their feelings. Had I been there, pet haps. I would luo. e spoken in the same way. The people of Bengal are also emotionally sun barged anti they are also agitated and they are also thinking that some demonstration should take place as a counter to the one that has taken place there. I am thankful to the Government of YV'esi Bengal because they did not allow any such thing lo happen there and I am thankful to the West Bengal because they did not allow am such thing to happen there and I am thankful to the administration of West Bengal because they saw io il tha) such a tendency is nol allow to prevail. Sir. every day alarming reports are coming, in. The Government of India should instruct the Government of Assam now. It is high time that they did it. No one suggests I hat Ibe administration there be taken over by the President or nobody asks that anv mandate should go to (be State Government. They have their own elected representatives theic and they have their own elected democratic set-up. But. because the law and order issue is the Siau subject, the Central Government should instruct the State Government to see that law and order is maintained without an;

delay and there should not be any opportune for bad blood being created.

With these words, Sir, I congratulate the hon. Minister for having raised a discussion mi ihis. \i the same time, I would request him to look into the shortcomings which the Commissioner for Linguistic Minorities is facing and I would request him to see if the suggestions and recommendations made by the Commissioner could be made mandatory and to see thai at least they are provided with sufficient information. Al least in four or hv e places ill the Report itself I find that they an' noi provided "ith adequate infor-in.i t iuin. I hey should be given sufficient information, I hank vou. Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr.

Ruthnaswamy.

SHRI M. RUTHNASWAMY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, as in the case ol ibe Scheduled Castes and Scheduled Tribes, so also in ibe ease of Ibe linguistic minorities there is a wide gap between the constitutional provisions made to safeguard the interests of these minorities and the implementation of those safeguards. Article; '19(1) and 39(2) of the Constitution provides that sufficient educational safeguards -hould be provided for ibe instruction of the members of the linguistic minorities in their particular language and article ViOA provides that arrangements should be made in every Slate for providing Instruction al least at the primary in the language of the minorities vyheiuwi it is demanded. It is also provided thai there should be a Commissioner to report on ibis and he should submit his reports io the President periodically. All these are excellent provisions. But how are they implemented? To what extent are they being implemented? Every page of this Report reveals a contravention of these provisions. In one Slate, the statistics required by Ibe Commissioner are not provided. In an other State, no prov ision is made, or inadequate provision is made, for instruction in ibe language of the minorities. In one State. I remember, the headmaster excused himself for not providing instruction to members of the minority community, just because be did not receive donations enough to finance the classes for instruction in that particular language. Almost every page of this Report reveals failure to implement the provisions of the Constitution. No doubt, there is a Commissioner to report on this question, as also there is a Commissioner for reporting on the position cif Scheduled Castes and Scheduled Tribes—the economic, educational and other provisions. But these Commissioners are just reporters. They go, investigate and find the facts and I ben embody these facts in a report. The Commissioner has also Assistant Commissioners who go in each State and investigate bow far the provisions of the Constitution are being implemented. But it is not the

[Shri M. Ruthnaswamy]

reporters that we want. We want executive action that will induce the States or prevail upon the States to do what is to be done. If the State Governments fail, the Central Government itself must provide for this as required by the Constitution. In other words, as regards the implementation of the plans in the States, the Central Government has no agency, no executive, no administrative agency in the States. It depends upon the goodwill of the States. The States' goodwill depends upon their financial competence. So if the provisions of the Constitution are to be implemented, the Central Government must find its own executive and administrative agencies in each State. If the States fail to provide educational facilities, the Central Government must provide for finances. They might copy the example of the United States of America.

The U.S.A. also has problems like this — the negro problem, the Red Indians problem — and the Federal Government being the superior government, being the supreme government, has a special responsibility to fill in the deficiencies of the State Governments. The Federal Government there has got its own agencies to see that its plans in regard to negroes or the Red Indians, are implemented. That will be possible only if the Commissioner is endowed with executive or administrative powers in each State and is provided by the Central Government with financial resources that are necessary to implement these schemes. It is only then that we can get satisfactory reports from the Commissioner for Linguistic Minorities, as also from the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is only then that we shall be able to get better reports year after year. The Commissioner is not responsible for this dismal record at present. It is the Government that is responsible for its inability, for its failure, to implement the provisions of the Constitution. So, I would appeal to the Union Government to establish agencies, executive and administrative agencies, in several States and provide these agencies with the financial resources in supplement the work of the State Governments in regard to these minorities. Of course, the publicity to this Report is given. There is a discussion in Parliament. This Report is also discussed in State Assemblies. Some publicity to the grievances of these minorities is given. But some State Governments are so thick-skinned that they do not care a boil for the discussions. These discussions do not affect them. The publicity given to the grievances of the minorities does not affect them at all and they go on their merry way ignoring the needs and demand of the linguistic minorities.

sions for the safeguard of the rights of minorities were inspired by lofty motives. Those that framed them were keeping in view the integration of India, promoting up the greater unity of India. It is a great motive, a great aspiration and a great hope and if that hope and aspiration has to be implemented, it has to be done by some practical implementation, of the generous provisions in the Constitution.

SHRI NABIN CHANDRA BURAGOHAIN (Assam): Hon. Deputy Chairman, Sir, I stand to speak on the Twelfth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities. Before I speak on the incident that occurred in Assam, I would like to draw attention of the hon. Members to the history of Assam.

Assam is a State where people originating from various parts of India, even belonging to the origin of non-Indians, settled there. During the beginning of the 13th century, one community, Ahom, came there from Thailand (Siam). They were very powerful, their strength was three thousand odd. They came to Assam and settled there. At that time, Assam was ruled by many rulers. They conquered the whole of Assam. They ruled there for full 600 years. What happened then during their period of reign they gave up their own language and adopted the culture and language of the local people of Assam. They fully became Assamese. Though they happened to be the rulers there, they adopted the spirit of democracy, they adopted the language of that place. Do you know what happened after that? These people found that some brilliant people, some educated people from the rest of India were required for the better administration of Assam. So, they took many of the educated people from Uttar Pradesh, Bengal, Bihar and other corners of India. They settled there. Many religious beads were also taken by the Ahoms to Assam. They also settled there permanently. They also adopted the language, civilization and culture of the local people. After that, during this long period of 600 years, probably the hon. Members know it well, there were 14 wars between the Moghul emperors and the kings of Assam but the Moghul force could not subdue the Ahoms in Assam. So, Assam remained unconquered by the Moghuls. During those times many people of the rank and file of the army of the Moghuls were captured and they also permanently settled there. They also within a short time adopted the language of the soil of Assam and accepted the culture and civilization of Assam. Then what happened on the advent of independence? At that time Assam had a Prime Minister, Sir Saadulla. There might have been an un-

Muslim majority area and with the idea probably he took many Bengali Muslims from Mymensingh and other Districts of Bengal. People who were land hungry migrated into Assam from West Bengal. They were all Bengali people and they carried their own language and culture there but within a very short space of time they settled there and learnt the Assamese language and they became totally Assamese. Just after independence many people from different parts of the country, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh etc. went there to work in the tea estates. Even during the British days tea garden labourers used to be from Bihar, Madhya Pradesh and some parts of Uttar Pradesh. They adopted the Assamese language and they also became completely Assamese. But those Bengalis who belong to the educated upper middle class went there, they did not accept the Assamese language as their own. The N.F. Railway is monopolised by these Bengalis. You can see at every station in Assam there is a Bengali colony, at Tinsukia, at Lumding, at Pandu, at every big station. These Bengalis have colonised in these places. They are there with the idea that the Bengali language is a superior language to Assamese, that they have got a superior culture. They have refused to accept the Assamese language though they have been there for a long time. You will be surprised to know that these so-called cultured people who migrated there are lawyers, doctors and others and even now they do not know even the A, B, C of Assamese because they have got the idea in their mind that the Bengali language is superior language, that they have a superior culture and civilisation.

Now I want to draw the attention of (his hon. House to one thing. Recently a Resolution was adopted by 10 lakhs of labourers in Assam that they have settled in Assam permanently, they are permanent Assamese and they have got no quarrel with the Assamese people. It is only one small section of the Bengalis who started a dash. Hon. Members know that Sriramulu died so that Andhra should be separated on the basis of language. Then there was the birth of Andhra for the Telugu-speaking people of the area. Later on India was divided on the basis of language and Assam also was carved out on the basis of language, that is, Assamese. Can there be any question, any second question that in Assam, any other language should also be a State language? These people, the upper middle class Bengali-speaking people, who mainly belong to the Railways, carry on this agitation that Bengali also should be one of the State languages of Assam.

Now, Sir, let us see how this clash came.

There was a circular from the Central Government that in every University the local State language should be the medium of instruction in colleges. So the Gauhati University adopted a resolution and Assamese was made the medium of instruction in the University classes. And for the Bengali-speaking people, and other minorities also there was another provision that English may also be the medium of instruction for a maximum period of ten years. Then the Assam Assembly also adopted a resolution to the effect that Assamese shall be the medium of instruction in the Dibrugarh and Gauhati Universities. As for Cachar they said that they would move the Central Government for granting another university for the Cachar people. But the Cachar people objected to it. There was a clash between the Assembly decision and the Bengali people on the one hand and also there was a clash between the Assembly decision and the students at large on the other. There was no clash between Assamese versus Bengalis. The students in the Brahmaputra Valley wanted recession of Assembly Resolution. So there was no clash between the Bengalis and the Assamese directly. But what happened? On the 5th of October, in the Assam Valley, the students had called a strike for upholding the University decision. Then what happened? At one place, at Kharupatia, the Bengalis did not observe the *hartal*. When they approached the shopkeepers to co-operate in the *hartal* there was a clash, and a teen-aged student, Mo/amil Hoque, was killed by the Bengali shopkeepers there: he died on the spot. Because of this death the feeling of the students rose high. They wanted to have another strike and they organised it on the 7th of October. They went to another place. Hojai. This is also a Bengali-dominated railway locality. Here, among the striking students were Anil Bora, General Secretary, Nowgong College, and Naren Barua, General Secretary, A.D.P. College. They were attacked in the minority community and they were injured very badly. Also, Arun Bina was missing; the minority community had taken him away forcibly from there. Later, after some time, Arun Bora's body was found: his headless maimed body was recovered. This aggravated the provocation of the students. So the whole situation changed into a riot on communal lines. But the Government took stringent steps to keep law and order. From the Centre Shri Om Mehta, Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport, Shri Ram Nivas Mirdha, Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel and also Shri Ikhruddin Ali Ahmed, Minister of Agriculture, and Shri Shankar Dayal Sharma, President, AICC visited Assam and they

[Shri Nahin Chandra Buragohain]

expressed their satisfaction with the stringent measures taken by Assam Government to tackle this agitation.

Now this agitation is over. We are very Sorry for the deaths that have taken place in Assam. Now I hope, Sir, that both the communities would think of their drawbacks and they would also try to accommodate each other and would try to live peacefully in Assam.

Thank you, Sir,

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उपसभापति महोदय, इस सदन ने करीब दो घंटे से इस विषय पर विचार करते समय सत्ता-दल के तीन-चार सदस्यों के भाषण को सुना है और सत्ता-दल के जो आसाम के बंगाली सदस्य हैं, या बंगाल के ही बंगाली सदस्य हैं पड़ोप के, उन्होंने बंगाल के समर्थन में और असमिया के खिलाफ में यह कहा कि इस भाषाई दंगे में हजारों बंगाली जिन्दा जला दिये गये और श्रीमन्, अभी उसी दल के असमिया समर्थक सदस्य का भाषण सुना और उन्होंने बताया कि असमिया के समर्थक कई सज्जनों का गला काट दिया गया, बिहेडेड हो गये, लेकिन बंगाल के समर्थक और असमिया के समर्थक दोनों अपनी भाषा में नहीं बोले। बोले विदेशी भाषा में और विदेशी भाषा में बोल कर के बंगाल और असमिया का समर्थन किया और वह यह उम्मीद करते हैं कि विदेशी भाषा के सहारे बंगाल और असमिया का कल्याण हो सकता है। मैं, श्रीमन्, कहना चाहता हूँ कि आज इस देश की जो दुर्गति हो रही है, नेशनल इंटरग्रेशन कमिशन के सदस्यों के भत्ते पर और इंटरग्रेशन कमिशन पर जो करोड़ों रूपया खर्च करने के बाद भी देश की एकता खंडित हो रही है, असमिया बंगालियों को काट रहे हैं और बंगाली असमियों को काट रहे हैं वही हाल देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है, उसका एकमात्र कारण यह है कि इस सदन में अधिकांश सदस्य, अधिकांश क्या चार-पांच को छोड़कर सभी सदस्य विदेशी भाषा का सहारा लिये हुए हैं और वह भी बड़ी अच्छी सुविधा के लिए—अच्छी सुविधा यह कि

पत्रकार उनके भाषणों को नोट करेंगे और अखबारों में छपेगा और यह कि उनके लिये इससे कुछ राजनैतिक बल भी मिलेगा।

श्रीमन्, मैं शुरू करना चाहता हूँ इस कमिशन की रिपोर्ट की पहली लाईन से। इसमें यह है ही:—

"To achieve full national integration, it is necessary to realise the unity of the people; it is also their fundamental equality enshrined in the Constitution."

राष्ट्र की एकता के लिये यह सारा संविधान बनाया गया और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये व्यवस्थाएँ की गईं लेकिन यह सारी व्यवस्था होने के बाद भी आज संविधान की हत्या हो रही है। दूसरों के द्वारा नहीं बल्कि जो संविधान के माध्यम से चुन कर यहां बैठते हैं, हजारों रुपये तनखाह और भत्ता लेते हैं इस सदन में बैठते हैं उनके द्वारा हो रही है।

श्रीमन्, गांधी जी ने "हरिजन" में लिखा। मेरे पास अंग्रेजी का ही नोट है, हिन्दी का नहीं है, इसलिये उसको पढ़ूंगा कि गांधी जी ने क्या लिखा :

"The system of education introduced in the foreign Government had been devised to perpetuate foreign domination and helping the disintegration of the country. It had produced a class of persons who had become aliens in their own surroundings, Indians in blood and colour. In English in taste, opinions, morals and intellect. It had drawn into her wealth, impoverished her languages, undermined her culture and induced in her children a mentality which made them the chain that bound them."

यह गांधी जी ने आज से तीस-पैंतीस साल पहले कहा और लिखा और लगातार कहते और लिखते रहे। उसके बावजूद आज गांधी का नाम लेकर और गांधी जी के कांग्रेस का नाम लेकर सदन में बैठे वही लोग उसी गुलामी की भाषा का सहारा लेते हैं। उनके दिमाग में गुलामी धंसी हुई है इसलिए ये कभी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीयता, देश की एकता की बात सोच नहीं सकते। ये अपने कल्याण की बात सोचते हैं, ये अपनी कुसियों की बातें सोचते हैं।

सभा के नेता (श्री उमाशंकर दोक्षित) : ये सब गलत बात कह रहे हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : दीक्षित जी महाराज बड़े बुजुर्ग हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन जान कर भी अनजान बन रहे हैं। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर विचार करते समय हम यह कहेंगे कि उनका ह्थ क्या हो रहा है, इस पर तो सोचना ही बेकार है जब राष्ट्रभाषा का क्या ह्थ है इस देश में, आज हिन्दी का क्या ह्थ है, इस पर जरा विचार कीजिए।

श्री एन० जी० गोरे (महाराष्ट्र) : मैजारिटी लैंग्वेज।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैजारिटी लैंग्वेज है। मैजारिटी लैंग्वेज की यह दुर्गति तो माइनारिटी लैंग्वेज—असमिया, बंगला, गुरुमुखी, उड़िया जिसको एक करोड़ या 2 करोड़ या ढाई करोड़ लोग बोलते हैं, उनकी बात आप सोचते हैं। जिस भाषा को बीस-पच्चीस करोड़ लोग बोलते हैं, यानी यूरोप के पांच-सात-दस मुल्कों के लोगों के बराबर तादाद में बोलते हैं, उसकी क्या दुर्गति हो रही है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, श्रीमन्, कि नीति बनाने के बावजूद उत्तर भारत में दक्षिण भारत की कोई भाषा नहीं पढ़ायी जाती। नेशनल इन्टीग्रेशन के नाम पर तीन भाषाओं का फार्मूला बना दिया गया, काफी पैसा उसमें खर्च हुआ, रिपोर्ट छापने में, मगर एक भी उत्तर भारत के राज्य में बताइये जहाँ दक्षिण भारत की कोई भाषा पढ़ायी जाती है, प्राइमरी स्कूल में या कहीं और। एक में भी नहीं। और इस बहाने अंग्रेजी के समर्थक, अंग्रेजियत के समर्थक कि दक्षिण में हिन्दी का विरोध होता है हिन्दी के बारे में संविधान की व्यवस्था की हत्या कर दी गई। पन्द्रह साल के बाद अंग्रेजी नहीं चलेगी, संविधान में जो यह व्यवस्था की गई थी कि 1965 के बाद अंग्रेजी नहीं चलेगी, उस व्यवस्था की हत्या इस आड़ में कर दी गई कि दक्षिण के लोग

हिन्दी का विरोध करते हैं। नहीं, दक्षिण के लोगों ने कभी हिन्दी का विरोध नहीं किया। हिन्दी का विरोध किया अपनी कुर्सी के लालच में सुब्रह्मण्यम साहब ने, जो यहाँ मिनिस्टर बन कर बैठे हैं। और उसका फायदा उठाया डी० एम० के० के लोगों ने। साफ हो गए सुब्रह्मण्यम भी उस वक्त। हिन्दी का विरोध किया था सुब्रह्मण्यम साहब ने। तामिलनाडु की किसी गांव की जनता ने विरोध नहीं किया। वहाँ के चंद नेताओं ने अपने स्वार्थ के हित में विरोध किया। उसका फायदा उठाया डी० एम० के० ने। और आज डी० एम० के० के सामने क्या है? तामिल चाहिए कि अंग्रेजी चाहिए? जिन्होंने उस समय हिन्दी का विरोध किया आज उनके सामने समस्या है कि तामिल हो या अंग्रेजी हो। और, वह अंग्रेजी के समर्थक जो हिन्दी का विरोध कर रहे थे वे आज तामिल का विरोध कर रहे हैं।

4 P.M.

उनकी पोल खुल गई कि वे लोग तामिलनाडु जनता के समर्थक नहीं हैं और तामिलनाडु जनता का हित नहीं चाहते हैं। ये लोग तामिलनाडु की गरीब जनता का हित नहीं चाहते हैं, जो लोग करोड़ों की संख्या में गांवों में रहते हैं, तामिल भाषा बोलते हैं, उनकी इन लोगों को कोई चिन्ता नहीं है। कुछ चन्द ऊपर के लोग हैं जो, चारों तरफ दफ्तरों में छाये हुए हैं, दिल्ली और मद्रास में आफिसरों की कुर्सियों में आबाद हैं जो अपना ही हित चाहते हैं और जो अपने बच्चों के हित के लिए अंग्रेजी को कायम रखना चाहते हैं और इस तरह से हिन्दी और तामिल का विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज अल्प संख्यकों की भाषा का हित और उनके हितों की रक्षा तब ही हो सकती है जब हिन्दी की रक्षा हो। अगर हिन्दी की रक्षा नहीं होगी तो उड़िया की रक्षा नहीं हो सकती है, तामिल की रक्षा नहीं हो सकती है क्योंकि हिन्दी, तामिल और उड़िया एक ही जननी से जने हैं, देश की सारी भाषाएँ एक ही जननी से जने हैं। और हिन्दी का कल्याण नहीं होगा, तो उड़िया का

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

नहीं हो सकता है, बंगला का नहीं हो सकता है। उनका कल्याण तो तब हो सकता है जब हिन्दी का कल्याण हो और हिन्दी का कल्याण होना बहुत आवश्यक है।

आज राष्ट्रीय एकता खंडित हो रही है। आज बंगाली आसामी को मार रहा है, तो क्या इस तरह से राष्ट्रीय एकता कायम हो सकती है जब कि हम सब एक देश के नागरिक हैं। आज मैसूर में झगड़ा हो रहा है, तामिलनाडू में झगड़ा हो रहा है, हरियाणा में झगड़ा हो रहा है, पंजाब में झगड़ा हो रहा है और इस तरह से हर जगह झगड़ा हो रहा है। देश में प्रान्तीयता की भावना जोर पकड़ रही है और अगर ऐसी बात होती है तो फिर राष्ट्रीय एकता का विचार ही समाप्त हो जाता है। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि राष्ट्रीयता का आधार भाषा, भूषा और भेष होता है। अगर देश में एक भाषा नहीं है, देश में भूषा और एक भेष नहीं है, तो फिर राष्ट्रीय एकता असम्भव है। अंग्रेजी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की बात सोचने वाले यह सोचते हैं कि अगर आज अंग्रेजी आ जाय तो बहुत ही ठीक होगा क्योंकि वे लोग अंग्रेजों के जमाने में खुशहाल थे और आज अगर अंग्रेज आ जाय तो फिर खुशहाल हो जायेंगे। आजादी के बाद इस तरह के लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अल्प संख्यकों की भाषा की सुरक्षा के साथ साथ यह जुड़ा हुआ है कि राष्ट्र भाषा हिन्दी की भी रक्षा हो लेकिन हमारी सरकार इस तरह की बात सुनने को तैयार नहीं है।

यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिल आया था। उस समय मैंने कहा था कि आप इस तरह का बिल क्यों लाते हो जिसमें धार्मिक भावना जुड़ी हुई हो। अगर तुम इस तरह का बिल लाते हो तो साथ ही बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी का भी बिल लाओ और दोनों में से हिन्दू और मुस्लिम शब्द को निकाल दो। आज अलीगढ़

में मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाई गईं और उनकी बहु बेटियों के साथ पी०ए०सी०के लोगों ने क्या क्या जुल्म नहीं किये, वे वर्णन की चीज नहीं है। उन लोगों का सिर्फ यह कहना था कि जब हमारे लिए इस तरह का कानून बनाया गया है तो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए भी इस तरह का कानून बनाइये। फरीदाबाद और अलीगढ़ में मुसलमानों ने जलसे किये, चाहे किसी ख्याल से किये हों, लेकिन मुसलमान नेताओं ने कहा कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए कानून बनाते हो तो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए भी कानून बनाओ। कौन सा आसमान गिर जाता अगर दोनों यूनिवर्सिटियों के बारे में एक साथ कानून बनता, एक कानून बनता? और जब अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में कुछ निराशा हो रही है सत्ता कांग्रेस तो एक मुसलमान को वहां गवर्नर बना कर भेज रहे हैं और एक दूसरे मुसलमान की खोज हो रही है जो सूबा कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाय बाजपेयी को हटा कर।

श्री यशपाल कपूर (उत्तर प्रदेश) : आप ज्यादा जानते हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आपके अखबारों में छपा है, आप ज्यादा जानते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब इस सदन में यह कहा गया कि आप क्यों ऐसा कानून बना रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपके कानों पर जूं नहीं रेंगेगी और जब वहां हजारों मुस्लिम महिलाओं के साथ बर्बरता की गई...

श्री माननीय सदस्य : गलत है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरे साथ चलें फरीदाबाद और बनारस में। मुसलमान लड़कियों को रेप किया है आपके पी०ए०सी०के जवानों ने। आप कहते हैं गलत है। (Time bell rings) श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय भावना का, शिक्षा का राष्ट्रीय वेशभूषा का होना आवश्यक है। ये

अंग्रेजी के समर्थक आज भी हावी रहे देश की राजनीति पर, आज भी अगर देश का माहौल इनके साथ में रहा तो देश का अन्त हो जायेगा। इसलिए लाजिमी है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी को उसका उचित स्थान दिया जाय और उसके बाद ही अल्पसंख्यक भाषाओं को उनका उचित स्थान मिल सकता है।

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI S. S. MARISWAMY) in the Chair]

REFERENCE TO SITUATION IN TAMIL NADU

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, before you ask Mrs. Mukhopadhyay to speak, fortunately we have the Leader of the House present here. We have reports just now coming from Madras, your State . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI S. S. MARISWAMY): I am sorry you cannot intervene while the discussion is going on. I cannot allow. Mrs. Mookherjee.

SHRI BHUPESH GUPTA: . . . Tomorrow morning we should know the situation, No-confidence has come against the Speaker . . . |

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI S. S. MARISWAMY): I am sorry you cannot intervene in the discussion . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: The Government should make a statement.

THE VICECHAIRMAN (SHRI S. S. MARISWAMY): I am sorry, you should have taken it up at the zero hour. No, I cannot allow.

SHRI BHUPESH GUPTA: Why are you upset?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI S. S. MARISWAMY): This is not the time to intervene.

SHRI BHUPESH GUPTA: We will surely intervene. Crisis is developing.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI S. S. MARISWAMY): No, you cannot. There is some other subject going on. You have no permission to do so.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am taking your permission. And since you are in the Chair permission is implied.

THE VICECHAIRMAN (SHRI S. S. MARISWAMY): It cannot be given. Mrs. Mukherjee.

SHRI G. A. APPAN (TAMIL NADU): Mr. Vice-Chairman, on a point of order . . .

MOTION RE TWELFTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES—contd.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, for the last about two hours we are discussing the report of the Commissioner for Linguistic Minorities. There have been speeches made here which, to my mind, have been very provocative and objectionable.

Sir, looking at the point from the minorities point of view, in any place of India it is the right of the minority to pursue their own language, their own avocation, their own culture in their own way. I do not consider this question from a Bengali's point of view. Neither do I consider this question from the Assamese point of view. It is far more serious than that. It is a question whether in any part of India a linguistic minority will have their right to their own education in their own language. It is their right that they can pursue their avocation without hindrance by the other people or by the Government, whether it is Cakutta of Gauhati, whether it is any other part of West Bengal or any other part of Assam, or any part of India. The Constitution guarantees the rights of the linguistic minorities. Even the Official languages Act of Assam guarantees the rights of the linguistic minorities. Let us all, with all seriousness, consider that aspect.

When I rise to speak, I do not rise as a Bengalee to speak on this subject. As a student of constitutional history, as a Member of Parliament, I feel it my bounden duty to speak for the protection of the rights of the minorities, whether they are linguistic minorities or they are religious minorities. It is the linguistic minorities that we are considering now. I was very attentively hearing the speech of Mr. Bura-gohain, the way he was speaking about the Bengalees. I do not identify myself at the moment with Bengalees when I speak now, but that is the attitude which is the source for all the trouble. And whenever my friends from another side . . .

SHRI GOLAP BARBORA: You also heard the speech of Mr. N. R. Choudhury.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: I am coming to that also. Why do you presume that I will not say anything about Mr. N. R. Choudhury's speech?